न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–39/2013–14

गनौरी प्रसाद **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12-10-18	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद गनौरी प्रसाद, पिता–मुंशी राज्य, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0–39/07 वार्ड सं0–01 नगर परिषद, दानापुर जिला–पटना द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 963 दिनांक–24.10.2013 के विरूद्ध फेयर प्राईज सोप–आदेश–2007 की धारा–15 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–01 की धारा–11 के अंतर्गत दिनांक–29.11.2013 को दायर किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक–29.11.13 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर वाद प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय का अभिलेख मांगते हुए, अगली तिथि 24.01.2014 निर्धारित की गई। दिनांक–20.02.2014 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त। दिनांक–12.10.2018 को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलकर्ता ने अपने अपील आवेदन में अंकित किया है कि दिनांक–06.08.2013 को पणन पदाधिकारी, शहर दानापुर द्वारा अपीलकर्ता (दुकानदार) की दुकान का निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को हस्तगत कराया गया। जांच प्रतिवेदन में निम्न आरोप लगाये गये :– 1. निर्धारित अवधि में बिना किसी सूचना के दुकान बंद रखना। 2. कुछ गरीब लाभुकों का धोखा से माह मई–13 का बी0पी0एल0 कूपन ले लेना एवं खाद्यान्न नहीं देना। 3. कुछ लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिया जाना। 4. किरासन तेल निर्धारित मात्रा से कम देना एवं निर्धारित दर से अधिक की राशि वसूल करना। 5. निरीक्षी पदाधिकारी को जान बुझकर जन वितरण प्रणाली दुकान से सम्बन्धित पंजियों/अभिलेखों को नहीं दिखाना। अपील आवेदन में यह भी अंकित है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में	

प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित अनियमितायें को प्रमाणित पाते हुए दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं हो है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त अपीलकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।